ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,पटना

पत्रांकः– मु०अ०–4–प्रधानमंत्री बैठक–57/2005–Part-II-149 पटना/दिनांकः– 14.01.2019

प्रेषक,

अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
प्रशासनिक पदाधिकारी,
बी0आर0आर0डी0ए0, पटना।

सेवा में,

मु०अ०–1, 2, 3 एवं 4, ग्रामीण कार्य विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
मुख्यालय स्थित सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल में कार्यरत सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग

विषयः– बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण की वार्षिक आम सभा की बैठक के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक–29.01.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के वार्षिक आम सभा की बैठक सिंचाई भवन, पटना स्थित अधिवेशन भवन में आहूत की गयी है।

अनुरोध है कि निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 11.00 बजे आहूत बैठक में ससमय अपना स्थान ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक की कार्यावली पत्र के साथ संलग्न है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/ 14/01/19
(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)

ज्ञापांक :–मु0अ0–4 प्रधानमंत्री बैठक–57/2005– Part-II -149 पटना/दिनांक -14.01.2019

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया आम सभा की बैठक के अवसर पर आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगें एवं इस पर होने वाला व्यय MMGSY के आकस्मिकता व्यय मद से भारित किया जाएगा।

ह0/ 14/01/19
(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)

ज्ञापांक :–मु0अ0–4 प्रधानमंत्री बैठक–57/2005– Part-II-149 पटना/दिनांक - 14.01.2019

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, ब्राडा को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/ 14/01/19
(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)

ज्ञापांक :–मु0अ0–4 प्रधानमंत्री बैठक–57/2005– Part-II-149 पटना/दिनांक -14.01.2019

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/ 14/01/15
(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना
वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रस्तावित आम सभा की कार्यावली

1. दिनांक–06.12.2017 को सम्पन्न आम सभा की बैठक की कार्यवाही पर सम्पुष्टि प्राप्त करना।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंकेक्षित लेखा, अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षित वार्षिक विवरणी एवं वार्षिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन।
3. ब्राडा के वैधानिक अंकेक्षक, मे0 जयसवाल ब्रजेश एण्ड कम्पनी के कार्यकाल को वित्तीय वर्ष 2017–18 के वैधानिक अंकेक्षण कार्य हेतु विस्तारित किये जाने के निर्णय पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।
4. बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प सं0–4662 दिनांक–07.10.2016 तथा सहपठित संकल्प सं0–545 दिनांक–09.02.2017 के माध्यम से GTSNY योजनान्तर्गत NABARD से राशि ₹ 2820.41 करोड़ off Budget ऋण प्राप्त करने तथा ऋण के मुलधन एवं ब्याज के लिए Repayment के लिए Principal Re-Payment Schedule पर आ सभा का अनुमोदन प्राप्त करना। पुनः ऋण एकरारनामा एवं अन्य प्रपत्रो पर हस्ताक्षर करने हेतु श्री संजय कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, ब्राडा एवं श्री पुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालिन नोडल पदाधिकारी, GTSNY को नामित किये जाने के निर्णय पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।
5. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित) के वित्तीय वर्ष 2017–18 का अंकेक्षित Project Financial Statement पर अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा गया। इसपर कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
6. वित्त प्रबंधक, ब्राडा, सहायक वित्त प्रबंधक, ब्राडा, ब्राडा कार्यालय के वित्त शाखा में अनुबंध पर कार्यरत दो लेखापाल एवं सहायक लेखा प्रबंधकों के पारिश्रमिक में की गई वृद्धि जिसकी विवरणी निम्नवत् है, पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।

क्र0सं0	पदनाम	पदवार प्रति कर्मी की पुनरिक्षण के पूर्व पारिश्रमिक	पदवार प्रति कर्मी की पुनरीक्षित पारिश्रमिक
1	वित्त प्रबंधक	₹ 56,000/-	₹ 70,000/-
2	सहायक वित्त प्रबंधक	₹ 35,000/-	₹ 40,000/-
3	सहायक लेखा प्रबंधक	₹ 25,000/-	₹ 28,000/-
4	लेखापाल	₹ 18,000/-	₹ 25,000/-

7. श्री केदार नाथ सिंह, जनसम्पर्क पदाधिकारी, ब्राडा के कार्यकाल को दिनांक–08.06.2018 से अगले एक वर्ष के लिए दिनांक–07.06.2019 तक विस्तारित किये जाने के निर्णय पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।

8. मे0 श्री सर्विसेज के माध्यम से 01 अद्द कम्प्यूटर प्रोग्रामर, 08 अद्द कम्प्यूटर ऑपरेटर, 01 अद्द सहायक लेखा प्रबंधक एवं 02 अद्द परिचारी की सेवा प्राप्त करने के निर्णय पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करने तथा मे0 श्री सर्विसेज के माध्यम से प्राप्त 01 अद्द सहायक लेखा प्रबंधक का पारिश्रमिक राशि रू0 28,000/– प्रति माह निर्धारित करने जिसमें सेवा प्रदाता का सेवा शुल्क एवं अन्य कटौतियाँ शामिल रहेंगी के निर्णय पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।

9. सहायक आई0टी0 प्रबंधकों एवं सहायक लेखा प्रबंधकों की सेवा आरक्षण के नये प्रावधानों के अनुसार पूर्व में कार्यरत सहायक आई0टी0 प्रबंधकों एवं सहायक लेखा प्रबंधकों के योग्यता एवं अनुभव के आधार पर ब्राडा कार्यालय द्वारा चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी मे0 श्री सर्विसेज से प्राप्त करने के निर्णय पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।

10. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं विभाग द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं में अभिनव तकनीकी के अनुसार West Plastic का उपयोग करने हेतु पटना नगर निगम को West Plastic Shredding Unit स्थापित करने हेतु PMGSY प्रशासनिक व्यय मद से रू0 5.12 करोड़ का अनुदान एवं MMGSY प्रशासनिक व्यय मद से रू0 5.12 करोड़ अर्थात कुल राशि रू0 10.24 करोड़ का अनुदान निर्गत करने के निर्णय पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।

11. बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा एवं प्रतिवेदनों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु विश्व बैंक के सुझाव के आधार पर अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, ब्राडा की अध्यक्षता में गठित Audit Committee जिसमें अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन एवं अधीक्षण अभियंता, कार्यअंचल–पटना को सदस्य के रूप में शामिल किये जाने के निर्णय पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।

12. अनुबंध के आधार पर कार्यरत संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान से आयकर अधिनियम की धारा 192 के अन्तर्गत TDS की कटौति किये जाने के निर्णय पर आम सभा का निर्णय प्राप्त करना।

13. वित्तीय वर्ष 2018–19 के वैधानिक अंकेक्षण कार्य हेतु मे0 जयसवाल ब्रजेश एण्ड कम्पनी के स्थान पर नये अंकेक्षक फर्म की नियुक्ति प्रक्रिया अंकेक्षक फर्मों के नियामक संस्था ICAI के दिशा निदेशों के आधार पर प्रारंभ करने के निर्णय पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।

14. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राडा के लिए क्रय किये गए सफारी स्ट्रॉम पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।

15 ब्राडा कार्यालय द्वारा विभाग के विभिन्न शाखाओं से प्राप्त अधियाचना के आलोक में क्रय किये गए उपस्करों यथा–Computer, Printer, Scanner, AC इत्यादि के क्रय एवं विभिन्न अभिलेखों

के मुद्रण एवं प्रकाशन हेतु ब्राडा कार्यालय द्वारा विभागीय क्रय समिति के माध्यम से निर्धारित दर पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।

16. वित्तीय वर्ष 2017–18 के आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्यकारिणी समिति की सहमति प्राप्त है। इसपर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।

17. संतोषप्रद कार्य सम्पन्न करने वाले आंतरिक अंकेक्षक फर्मों को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अवधि विस्तार किये जाने के निर्णय पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना एवं आंतरिक अंकेक्षण हेतु 02 पैकेज जिनका अंकेक्षण कार्य लम्बित रह गया है, के अंकेक्षण को सम्पन्न कराने हेतु आंतरिक अंकेक्षकों के सूची बद्ध पैनल से 02 फर्मों को कार्य आवंटित करने के निर्णय पर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।

18. अध्यक्ष की अनुमति से लाया गया कोई अन्य मामला।

उक्त कार्यावली बिन्दुओं पर दिनांक–16.03.2018, 13.04.2018, 05.07.2018, 27.09.2018, 06.12.2018 एवं 24.12.2018 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है।